

जन्म निबंधन हेतु आवेदन पत्र

(जन्म की तिथि के 1 वर्ष बाद से)

सेवा में,

अपर जिला रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु),ग्रामीण

—सह—

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,

.....

विषय:— मुझे अपने.....का जन्म निबंधन/प्रमाण-पत्र निर्गत करवाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं(शपथकर्ता).....**शिशु के जन्म के समय शपथकर्ता**

का उम्रपिता/पति.....वार्ड.....ग्राम.....पोस्ट.....पिन कोड.....

थाना.....पंचायत.....मो0 नं0.....प्रखण्ड.....का स्थायी निवासी हूँ।

मुझे अपने(आवेदक के साथ संबंध).....के जन्म प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है, जिसकी विवरणी निम्न है:—

1. शिशु का नाम(हिन्दी में).....(अंग्रजी में).....उम्र.....

2. **जन्म की तिथि**.....लिंग.....धर्म.....पेशा.....शिशु का आधार संख्या.....

3. **जन्म स्थान का पता एवं समय**.....

4. शिशु के पिता का नाम(हिन्दी में).....(अंग्रजी में).....

आधार सं0.....शैक्षणिक योग्यता.....पेशा.....

शिशु के जन्म के समय पिता का उम्र.....मो0 नं0.....

5. शिशु का माता का नाम(हिन्दी में).....(अंग्रजी में).....

आधार सं0.....शैक्षणिक योग्यता.....पेशा.....

शिशु के जन्म के समय माता का उम्र.....मो0 नं0.....

6. जन्म प्रमाण-पत्र लेने का प्रयोजन.....

7. शिशु का वर्तमान पता.....

8. शिशु का स्थाई पता.....

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ की मैं/अपने परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा पूर्व में उक्त शिशु का निबंधन/जन्म प्रमाण-पत्र नहीं बनवाया/बनवायी हूँ। जन्म प्रमाण-पत्र हेतु दी गई उपरोक्त सूचनाएँ पूर्ण रूपेण सही है। उक्त विवरणी के पुष्टि हेतु आवेदन के साथ नोटरी/कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथपत्र संख्या.....दिनांक.....मूल में संलग्न किया है। जॉचोपरान्त सूचनाएँ गलत पाये जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई का भागीदार बनेँगा/बनेँगी।

अनुलग्नक:— प्रारूप-1, अधिसूचक का जॉच/सत्यापन प्रतिवेदन।

शिशु, आवेदक एवं गवाह का आधार कार्ड की छायाप्रति।

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

नोट:— जन्म की तिथि से 30 दिनों के अंदर जन्म निबंधन/प्रमाण-पत्र निर्गत कराये जाने में कोई शपथ-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

जन्म की घटना का सत्यापन/अनुसंशा प्रतिवेदन

(जन्म तिथि के 1 वर्ष के बाद से)

आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमति.....के द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में यह प्रमाणित किया जाता है कि (शिशु का नाम).....पिता.....का जन्म तिथि.....को वार्ड नं0.....ग्राम.....पोस्ट.....पंचायत.....थाना.....प्रखण्ड.....में हुआ है।

उपरोक्त दी गयी सूचनाओं को मैं व्यक्तिगत रूप से भली-भांती जानता एवं पहचानता हूँ तथा मेरी जानकारी में उपरोक्त सभी सूचनाएँ सही है। अतएव मैं/हमलोग अपने पुरे होशों-हवास में यह लिखित सुचना दे रहा हूँ कि (शिशु का नाम).....का जन्म तिथि.....को ग्राम.....में हुई है।

गवाही का कोई भी अंश गलत पाये जाने पर हमलोग गवाह जन पर विधि सम्मत कार्रवाई का भागीदार बनेगा/बनेगी।

क्र0सं0	गवाह का नाम	पिता/पति का नाम	आधार खंख्या	उम्र	पता	हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान
01						
02						
03						

(आवेदक का हस्ताक्षर या अंगुठे का निशान)

नोट:- शिशु के जन्म के समय सभी गवाह एवं शपथकर्ता को वयस्क(18 वर्ष से उपर) होना अनिवार्य है।

सत्यापन के क्रम में उक्त गवाहों का ब्यान और हस्ताक्षर मेरे (पंचायत सचिव) समक्ष लिया गया। आवेदक तथा सभी गवाहों के हस्ताक्षर/अंगुठा का निशान का सत्यापन किया जाता है। शिशु.....का जन्म मेरे अधिसूचित क्षेत्र वार्ड नं0.....ग्राम.....पंचायत.....थाना.....में दिनांक.....को हुआ है। मेरे कार्यालय अभिलेख (आँगनबाड़ी केन्द्र/पंचायत कार्यालय) के अनुरूप इससे पूर्व उक्त शिशु का जन्म निबंधन/प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

अतः जन्म निबंधन/प्रमाण-पत्र निर्गत हेतु अनुसंशा किया जाता है।

आँगनबाड़ी सेविका/चौकीदार
-सह-

अधिसूचक(जन्म-मृत्यु)

पंचायत सचिव
-सह-

अधिसूचक(जन्म-मृत्यु)

सरपंच/मुखिया
-सह-

अधिसूचक(जन्म-मृत्यु)

पत्रांक:....., दिनांक:.....

रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु)-सह-प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी, मेसकौर को निदेश दिया जाता है कि जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 के आलोक में स्वीकृत आवेदन को नियमानुसार विधि संवत कार्रवाई करते हुए विलम्ब शुल्क प्राप्त कर जन्म निबंधन/प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाए।

अपर जिला रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु),ग्रामीण
-सह-

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,